

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 67/2020

वादीगण-

1. भंवराराम
2. रामकुंवार
3. प्रहलादराम डूकिया
4. इन्दाराम
5. सुरेश डूकिया पुत्रगण आसाराम  
जतियान-जाट निवासीगण-सुवादिया, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. सोहनी देवी पत्नी आसाराम, जाति-जाट निवासी-सुवादिया, जायल जिला-नागौर।
2. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बस्तीराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 23. 11.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

7. वादी संख्या 1 भंवराराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सुवादिया का खेत खसरा नंबर 610/77 में से रकबा 1.0926 हैक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार पश्चिमी भाग रखा गया है।
8. वादी संख्या 2 रामकुंवार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सुवादिया का खेत खसरा नंबर 610/77 में से 1.1331 हैक्टेयर नजरीनकशानुसार पूर्वी भाग रखा गया है।
9. वादी संख्या 3 प्रहलादराम डूकिया के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सुवादिया का खेत खसरा नंबर 71 रकबा 0.7689 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 72 में से 0.4856 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।

23/11/2021  
23/11/2021

10. वादी संख्या 4 इन्दाराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा सुवादिया का खेत खसरा नंबर 72 में से 1.24634 बीघा पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।
11. वादी संख्या 5 सुरेश डूकिया के हक बंट कब्जा काशत में मौजा सुवादिया का खेत खसरा नंबर 52 रकबा 1.6026 बीघा पुरा रखा गया है।
12. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध 70 वर्ष की औरत है तथा काशत करने में सक्षम नहीं है इनके बंट में नगदी, जवारात, पक्का मकान रखे जाने से मुतदाविया खेतियों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।
- नोट— यदि विवादग्रस्त खसरान् बैंक के रहन हो तो संबंधित बैंक को सूचित हो।

23/11/2020  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल—(नागौर)

तीज - मुबलिग .. - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/11/2020..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

23/11/2020  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)